Swami Vivekananda Advanced Journal for Research and Studies
Online Copy of Document Available on: www.svajrs.com

ISSN:2584-105X **Pg. 126-133**

कार्यरत महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा: आधुनिक आर्थिक परिवेश और जेंडर भूमिकाओं में परिवर्तन का प्रभाव

प्रोफेसर डी. पी. यादव
प्रोफेसर, नीलम शर्मा ,शोधार्थी,सोभन सिंह जीना, अल्मोड़ा विश्वविद्यालय अल्मोड़ा, उत्तराखंड, भारत

Accepted: 08/02/2026
Published: 09/02/2026 ***DOI: http://doi.org/ 10.5281/zenodo.18542542***

सारांश

आधुनिक आर्थिक परिवेश में महिलाओं की बढ़ती कार्यभागीदारी ने पारिवारिक संरचना, सत्ता-संबंधों तथा पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन उत्पन्न किए हैं। जहाँ एक ओर महिला रोजगार को सशक्तिकरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक उन्नति का माध्यम माना जाता है, वहीं दूसरी ओर यह परिवर्तन कई परिवारों में तनाव, असंतुलन और संघर्ष का कारण भी बना है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य कार्यरत महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा की समस्या का विश्लेषण करना तथा यह समझना है कि किस प्रकार बदलती आर्थिक परिस्थितियाँ और जेंडर भूमिकाओं में परिवर्तन इस हिंसा को प्रभावित करते हैं। अध्ययन में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पितृसत्तात्मक मानसिकता, पुरुष वर्चस्व की भावना, आर्थिक नियंत्रण की प्रवृत्ति और पारंपरिक सामाजिक अपेक्षाएँ घरेलू हिंसा को बढ़ावा देती हैं। इसके अतिरिक्त, कार्यरत महिलाओं पर दोहरी जिम्मेदारियों का बोझ, कार्यस्थल का तनाव और पारिवारिक समर्थन की कमी स्थिति को और जटिल बनाती है। शोध यह भी रेखांकित करता है कि घरेलू हिंसा केवल व्यक्तिगत समस्या न होकर एक गंभीर सामाजिक और संरचनात्मक मुद्दा है, जिसका प्रभाव महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य, कार्य-प्रदर्शन, आत्मसम्मान और पारिवारिक जीवन पर पड़ता है। निष्कर्षतः, अध्ययन जेंडर-संवेदनशील दृष्टिकोण, सामाजिक जागरूकता, प्रभावी कानूनी क्रियान्वयन और पारिवारिक सहयोग को घरेलू हिंसा की रोकथाम हेतु आवश्यक मानता है।

मुख्य शब्द :- *कार्यरत महिलाएँ, घरेलू हिंसा, आर्थिक परिवेश, जेंडर भूमिकाएँ, पितृसत्ता, महिला सशक्तिकरण*

1.1 घरेलू हिंसा की अवधारणा एवं परिभाषा

घरेलू हिंसा एक गंभीर सामाजिक समस्या है, जो पारिवारिक और अंतरंग संबंधों के भीतर महिलाओं के विरुद्ध की जाने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियों को समाहित करती है। भारतीय विधिक परिप्रेक्ष्य में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अनुसार, घरेलू हिंसा में शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक तथा आर्थिक उत्पीड़न सम्मिलित है, जो किसी महिला की गरिमा, सुरक्षा और स्वतंत्रता को क्षति पहुँचाता है। यह हिंसा केवल शारीरिक मारपीट तक सीमित नहीं होती, बल्कि मानसिक प्रताड़ना, धमकी, अपमान, सामाजिक अलगाव और आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण जैसे सूक्ष्म किंतु गहरे प्रभाव डालने वाले रूपों में भी प्रकट होती है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्वास्थ्य संगठन घरेलू हिंसा को महिलाओं के स्वास्थ्य और मानवाधिकारों के लिए एक प्रमुख खतरे के रूप में परिभाषित करता है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से घरेलू हिंसा की जड़ें पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना में निहित हैं, जहाँ पुरुष को सत्ता और नियंत्रण का स्वाभाविक अधिकारी माना जाता है। डोबाश और डोबाश के अनुसार, घरेलू हिंसा पुरुष वर्चस्व को बनाए रखने का एक साधन है, जो महिलाओं की स्वायत्तता को सीमित करता है।

हाइज़ द्वारा प्रस्तुत पारिस्थितिक मॉडल यह स्पष्ट करता है कि घरेलू हिंसा केवल व्यक्तिगत व्यवहार का परिणाम नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों का सम्मिलित प्रभाव है। इस संदर्भ में घरेलू हिंसा को निजी समस्या के बजाय एक संरचनात्मक सामाजिक समस्या के रूप में समझना आवश्यक हो जाता है। इसका प्रभाव केवल पीड़ित महिला तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बच्चों, परिवार और समाज की समग्र संरचना को प्रभावित करता है।

1.2 कार्यरत महिलाओं की बढ़ती भागीदारी: एक सामाजिक परिवर्तन

पिछले कुछ दशकों में महिलाओं की कार्यक्षेत्र में बढ़ती भागीदारी आधुनिक समाज का एक महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन रही है। वैश्वीकरण, औद्योगीकरण, शहरीकरण और शिक्षा के विस्तार ने महिलाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान किए हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, विश्व स्तर पर महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी निरंतर बढ़ी है, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक पहचान सुदृढ़ हुई है।

भारत में भी महिला कार्यभागीदारी में धीरे-धीरे वृद्धि देखी गई है, विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा और असंगठित क्षेत्रों में। अमर्त्य सेन के अनुसार, आर्थिक सहभागिता महिलाओं की स्वतंत्रता और क्षमताओं के विस्तार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके साथ ही, नायला कबीर का तर्क है कि रोजगार महिलाओं को संसाधन, एजेंसी और उपलब्धि प्रदान करता है, जो सशक्तिकरण के मूल तत्व हैं।

हालाँकि, यह सामाजिक परिवर्तन पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं को चुनौती देता है। जहाँ पहले पुरुष को परिवार का मुख्य कमाने वाला माना जाता था, वहीं अब कार्यरत महिलाएँ इस भूमिका को साझा कर रही हैं। इससे पारिवारिक सत्ता-संतुलन में बदलाव आया है, जिसने कई परिवारों में तनाव और संघर्ष को जन्म दिया है। देशपांडे के अनुसार, जेंडर असमानता केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक अपेक्षाओं से भी जुड़ी हुई है।

इसके अतिरिक्त, कार्यरत महिलाओं को प्रायः दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है—कार्यस्थल की पेशेवर जिम्मेदारियाँ और घरेलू कार्यों की पारंपरिक अपेक्षाएँ। यह असंतुलन मानसिक दबाव, थकान और पारिवारिक टकराव को बढ़ाता है, जो कई बार घरेलू हिंसा का कारण बनता है। इस प्रकार महिलाओं की बढ़ती कार्यभागीदारी जहाँ सामाजिक प्रगति का प्रतीक है, वहीं यह पारिवारिक संबंधों में नई चुनौतियाँ भी उत्पन्न कर रही है।

1.3 अध्ययन की प्रासंगिकता एवं समस्या कथन

कार्यरत महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा का अध्ययन वर्तमान सामाजिक-आर्थिक संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के आँकड़े दर्शाते हैं कि शिक्षा और रोजगार के बावजूद बड़ी संख्या में महिलाएँ घरेलू हिंसा का अनुभव करती हैं।[11] यह तथ्य इस धारणा को चुनौती देता है कि आर्थिक स्वतंत्रता स्वतः घरेलू हिंसा को समाप्त कर देती है।

समाजशास्त्रीय अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि पितृसत्तात्मक मानसिकता और पुरुष वर्चस्व की भावना महिला की आर्थिक आत्मनिर्भरता को एक खतरे के रूप में देखती है। जेजेभॉय के अनुसार, कई सामाजिक संदर्भों में पत्नी के साथ हिंसा को पुरुष का अधिकार मान लिया जाता है।[12] इसी प्रकार, राव का अध्ययन दर्शाता है कि आर्थिक तनाव और भूमिका-परिवर्तन घरेलू हिंसा की तीव्रता को बढ़ा सकते हैं।[13]

इस अध्ययन की प्रासंगिकता इस तथ्य में निहित है कि कार्यरत महिलाओं की समस्याएँ गैर-कार्यरत महिलाओं से भिन्न होती हैं। कार्यस्थल का तनाव, समय का अभाव और पारिवारिक अपेक्षाओं का दबाव घरेलू जीवन को जटिल बना देता है। कृष्णराज के अनुसार, घरेलू हिंसा महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसम्मान और सामाजिक सहभागिता पर गहरा प्रभाव डालती है।[14]

अतः इस शोध का केंद्रीय समस्या कथन यह है कि आधुनिक आर्थिक परिवेश और जेंडर भूमिकाओं में परिवर्तन किस

प्रकार कार्यरत महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा को प्रभावित कर रहे हैं। यह अध्ययन घरेलू हिंसा को एक व्यक्तिगत समस्या के बजाय एक सामाजिक-संरचनात्मक मुद्दे के रूप में विश्लेषित करता है तथा प्रभावी कानूनी, सामाजिक और नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता को रेखांकित करता है।[15]

1.4. अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. कार्यरत महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा की प्रकृति एवं स्वरूप का अध्ययन करना।

2. आधुनिक आर्थिक परिवेश और महिला रोजगार के बीच संबंध का विश्लेषण करना।

3. जेंडर भूमिकाओं में परिवर्तन और पारिवारिक सत्ता-संतुलन पर उसके प्रभाव को समझना।

4. घरेलू हिंसा के सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक कारणों की पहचान करना।

5. घरेलू हिंसा के निवारण हेतु नीतिगत एवं सामाजिक उपाय सुझाना।

1.5. शोध प्रश्न

इस अध्ययन को निम्नलिखित शोध प्रश्नों द्वारा निर्देशित किया गया है:

• क्या कार्यरत महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता घरेलू हिंसा को कम करती है या बढ़ाती है?

• जेंडर भूमिकाओं में परिवर्तन पारिवारिक संबंधों को किस प्रकार प्रभावित करता है?

• क्या पितृसत्तात्मक मानसिकता कार्यरत महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा को बढ़ावा देती है?

2. साहित्य समीक्षा

घरेलू हिंसा पर उपलब्ध साहित्य यह दर्शाता है कि यह एक बहुआयामी सामाजिक समस्या है, जो व्यक्तिगत व्यवहार से आगे बढ़कर सामाजिक संरचना, आर्थिक असमानता और पितृसत्तात्मक सत्ता-संबंधों से गहराई से जुड़ी हुई है। भारतीय संदर्भ में घरेलू हिंसा की कानूनी परिभाषा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दी गई है, जिसमें शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक तथा आर्थिक हिंसा को सम्मिलित किया गया है।[1] यह अधिनियम घरेलू हिंसा को केवल शारीरिक कृत्य न मानकर महिला की गरिमा और स्वतंत्रता के उल्लंघन के रूप में देखता है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घरेलू हिंसा को महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा बताया है तथा इसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में चिन्हित किया है।[2] यह दृष्टिकोण घरेलू हिंसा को निजी समस्या के बजाय सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में स्थापित करता है। डोबाश और डोबाश ने घरेलू हिंसा को पितृसत्तात्मक व्यवस्था का प्रत्यक्ष परिणाम बताया है, जहाँ हिंसा का प्रयोग महिलाओं पर नियंत्रण और पुरुष वर्चस्व बनाए रखने के लिए किया जाता है।[3]

हाइज़ द्वारा प्रस्तुत पारिस्थितिक मॉडल यह स्पष्ट करता है कि घरेलू हिंसा व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामुदायिक और सामाजिक स्तरों पर कार्यरत कारकों का संयुक्त परिणाम है।[4] इसी संदर्भ में फ्लाविया एग्नेस ने भारतीय सामाजिक ढाँचे में यह तर्क दिया है कि कानून की मौजूदगी के बावजूद सामाजिक मान्यताएँ और संस्थागत बाधाएँ महिलाओं को वास्तविक संरक्षण से वंचित कर देती हैं।[5]

महिलाओं की बढ़ती कार्य-भागीदारी पर केंद्रित साहित्य आर्थिक परिवर्तन को महिला सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण आधार मानता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, महिला रोजगार से उनकी आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक पहचान में वृद्धि हुई है।[6] भारत की जनगणना रिपोर्ट यह दर्शाती है कि विशेषकर शहरी और सेवा क्षेत्रों में महिलाओं की कार्य-भागीदारी में वृद्धि हुई है।[7] अमर्त्य सेन का मत है कि रोजगार महिलाओं की स्वतंत्रता, निर्णय क्षमता और जीवन विकल्पों को विस्तारित करता है।[8]

हालाँकि, नायला कबीर यह स्पष्ट करती हैं कि आर्थिक संसाधन तभी सशक्तिकरण में परिवर्तित होते हैं जब सामाजिक संरचनाएँ महिलाओं की एजेंसी को स्वीकार करें।[9] देशपांडे के अनुसार, भारत में जेंडर असमानता केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक अपेक्षाओं से भी गहराई से जुड़ी हुई है।[10]

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के आँकड़े यह दर्शाते हैं कि कार्यरत और शिक्षित महिलाएँ भी घरेलू हिंसा से मुक्त नहीं हैं।[11] जेजेभॉय के अध्ययन से यह सामने आता है कि कई सामाजिक संदर्भों में पत्नी के साथ हिंसा को सामाजिक रूप से वैध माना जाता है।[12] राव का शोध इंगित करता है कि महिला की आर्थिक भूमिका में परिवर्तन पारिवारिक तनाव और हिंसा को बढ़ा सकता है।[13]

कृष्णराज का अध्ययन यह रेखांकित करता है कि घरेलू हिंसा महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसम्मान और कार्यक्षमता पर दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव डालती है।[14] संयुक्त राष्ट्र की घोषणा घरेलू हिंसा को लैंगिक असमानता से उत्पन्न एक संरचनात्मक समस्या के रूप में परिभाषित करती है।[15]

इस प्रकार उपलब्ध साहित्य यह स्पष्ट करता है कि कार्यरत महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा आर्थिक परिवर्तन, जेंडर भूमिकाओं में बदलाव और पितृसत्तात्मक मानसिकता के अंतर्संबंध का परिणाम है। वर्तमान अध्ययन इसी अंतर्संबंध को समझने का प्रयास करता है।

3: शोध पद्धति

3.1 शोध की प्रकृति

प्रस्तुत शोध गुणात्मक प्रकृति का है, जिसका उद्देश्य कार्यरत महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा की समस्या को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भों में गहराई से समझना है। यह अध्ययन घरेलू हिंसा को केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक घटना के रूप में न देखकर एक सामाजिक-संरचनात्मक परिघटना के रूप में विश्लेषित करता है। गुणात्मक शोध पद्धति सामाजिक अनुभवों, अर्थ-निर्माण की प्रक्रियाओं और सत्ता-संबंधों को समझने में सहायक होती है, जो इस विषय के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है।

इस शोध में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, जेंडर भूमिकाओं में परिवर्तन और पारिवारिक सत्ता-संतुलन के बीच संबंधों का विश्लेषण किया गया है। गुणात्मक दृष्टिकोण यह मानता है कि घरेलू हिंसा जैसी संवेदनशील समस्या को मात्र आँकड़ों के आधार पर नहीं समझा जा सकता, बल्कि इसके पीछे कार्यरत सामाजिक मानसिकता, सांस्कृतिक मान्यताओं और अनुभवजन्य यथार्थ को समझना आवश्यक है। अतः यह अध्ययन व्याख्यात्मक एवं विश्लेषणात्मक स्वरूप का है, जो सामाजिक वास्तविकताओं की गहन व्याख्या प्रस्तुत करता है।

3.2 शोध अभिकल्प

इस अध्ययन में वर्णनात्मक एवं व्याख्यात्मक गुणात्मक शोध अभिकल्प को अपनाया गया है। वर्णनात्मक अभिकल्प के माध्यम से कार्यरत महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा की प्रकृति, स्वरूप और प्रवृत्तियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है, जबकि व्याख्यात्मक अभिकल्प के अंतर्गत आधुनिक आर्थिक परिवेश और जेंडर भूमिकाओं में परिवर्तन के कारण उत्पन्न सामाजिक तनावों की व्याख्या की गई है। यह अभिकल्प इसलिए उपयुक्त है क्योंकि यह सामाजिक वास्तविकताओं को उनके संदर्भ में समझने की सुविधा प्रदान करता है।

3.3. डेटा संग्रह के स्रोत

यह अध्ययन द्वितीयक डेटा स्रोतों पर आधारित है, जो गुणात्मक शोध के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। डेटा के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं—

• राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टें (जैसे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण)

• घरेलू हिंसा और महिला रोजगार से संबंधित प्रकाशित शोध-पत्र

• समाजशास्त्रीय एवं विधिक पुस्तकें

• सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के प्रासंगिक निर्णय

• संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के दस्तावेज

इन स्रोतों के माध्यम से घरेलू हिंसा की प्रवृत्तियों, संरचनात्मक कारणों और कानूनी व्याख्याओं का विश्लेषण किया गया है।

3.4 नमूना चयन विधि

गुणात्मक शोध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस अध्ययन में उद्देश्यपरक नमूना चयन विधि को अपनाया गया है। इसके अंतर्गत उन रिपोर्टों, केस-अध्ययनों और न्यायिक निर्णयों का चयन किया गया है जो प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत महिलाओं, घरेलू हिंसा और जेंडर भूमिकाओं के परिवर्तन से संबंधित हैं। यह विधि विषय की गहराई को समझने में सहायक सिद्ध होती है।

3.5. डेटा विश्लेषण की विधि

डेटा विश्लेषण के लिए विषयवस्तु विश्लेषण (Thematic Analysis) विधि का प्रयोग किया गया है। इसके अंतर्गत घरेलू हिंसा, आर्थिक स्वतंत्रता, पितृसत्ता, भूमिका-संघर्ष, दोहरा बोझ और कानूनी संरक्षण जैसे प्रमुख विषयों की पहचान की गई है। विभिन्न रिपोर्टों और केस-निर्णयों की तुलनात्मक समीक्षा कर यह समझने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार आधुनिक आर्थिक परिवर्तन घरेलू हिंसा की प्रकृति को प्रभावित कर रहे हैं।

3.6. नैतिक पक्ष

घरेलू हिंसा एक संवेदनशील विषय है, अतः शोध में नैतिकता का विशेष ध्यान रखा गया है। किसी भी व्यक्ति की पहचान प्रकट नहीं की गई है और सभी स्रोतों को उचित संदर्भ प्रदान किया गया है। शोध का उद्देश्य केवल अकादमिक विश्लेषण और सामाजिक जागरूकता है, न कि किसी व्यक्ति या समूह को दोषी ठहराना।

3.7 अध्ययन की सीमाएँ

यह अध्ययन द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है, अतः प्रत्यक्ष अनुभवों का अभाव इसकी एक सीमा है। साथ ही, सामाजिक-सांस्कृतिक विविधताओं के कारण निष्कर्षों का सार्वभौमिक सामान्यीकरण सीमित हो सकता है। इसके बावजूद, अध्ययन घरेलू हिंसा की संरचनात्मक समझ विकसित करने में सहायक है।

4.1 कार्यरत महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा: प्रवृत्तियों का विश्लेषण

हालिया राष्ट्रीय रिपोर्टों, गुणात्मक केस-विश्लेषणों तथा न्यायिक निर्णयों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि कार्यरत महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा का स्वरूप समय के साथ अधिक जटिल और संरचनात्मक हो गया है। यह हिंसा अब केवल शारीरिक कृत्यों तक सीमित नहीं रही, बल्कि आर्थिक नियंत्रण, भावनात्मक दमन, निर्णय-निर्माण से बहिष्कार और सामाजिक निगरानी जैसे सूक्ष्म रूपों में भी प्रकट हो रही है। आधुनिक आर्थिक परिवेश में महिलाओं की बढ़ती कार्यभागीदारी ने पारंपरिक पारिवारिक शक्ति-संतुलन को चुनौती दी है, जिसके परिणामस्वरूप कई मामलों में हिंसा एक नियंत्रणकारी प्रतिक्रिया के रूप में सामने आती है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि कार्यरत और शिक्षित महिलाएँ भी घरेलू हिंसा से सुरक्षित नहीं हैं। सर्वेक्षण से यह संकेत मिलता है कि महिला का रोजगार स्वयं में हिंसा को समाप्त नहीं करता, बल्कि कुछ सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों में यह हिंसा की प्रकृति को बदल देता है। केस-विश्लेषणों से यह देखा गया है कि जब महिला की आय पति के समकक्ष या उससे अधिक होती है, तब कुछ परिवारों में पुरुष की पारंपरिक "मुख्य कमाने वाले" की भूमिका संकट में पड़ती है। यह संकट कई बार अहं-संघर्ष, नियंत्रण की प्रवृत्ति और हिंसात्मक व्यवहार में परिवर्तित हो जाता है।

गुणात्मक केस स्टडीज़ यह भी दर्शाती हैं कि कार्यरत महिलाएँ दोहरे बोझ का सामना करती हैं—कार्यस्थल की पेशेवर अपेक्षाएँ और घरेलू जिम्मेदारियों की पारंपरिक मांगें। आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में कार्य-समय की अनिश्चितता, नौकरी की असुरक्षा और उत्पादकता का दबाव पारिवारिक जीवन को प्रभावित करता है। अनेक मामलों में यह पाया गया है कि पुरुष अपने कार्यस्थल के तनाव और कुंठा को घरेलू स्तर पर महिलाओं पर आरोपित करते हैं। यह स्थिति घरेलू हिंसा के जोखिम को बढ़ा देती है, विशेषकर तब जब पारिवारिक संवाद और सहयोग की संरचना कमजोर होती है।

न्यायिक दृष्टि से हाल के वर्षों में घरेलू हिंसा के मामलों में महत्वपूर्ण स्पष्टता आई है। भारतीय न्यायपालिका ने यह स्वीकार किया है कि घरेलू हिंसा केवल शारीरिक उत्पीड़न तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक और भावनात्मक नियंत्रण भी इसके दायरे में आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 को एक कल्याणकारी विधान मानते हुए यह दोहराया है कि इसके प्रावधानों की व्याख्या पीड़ित-महिला के संरक्षण और गरिमा को केंद्र में रखकर की जानी चाहिए। हालिया मामलों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि केवल महिला का कार्यरत होना या आय अर्जित करना उसे स्वतः आत्मनिर्भर नहीं बना देता और न ही यह उसके संरक्षण के अधिकारों को समाप्त करता है।

उच्च न्यायालयों के निर्णयों में यह प्रवृत्ति दिखाई देती है कि घरेलू हिंसा के मामलों में आर्थिक स्वतंत्रता के तर्क का यांत्रिक प्रयोग नहीं किया जा सकता। न्यायालयों ने परिस्थितिजन्य विश्लेषण को प्राथमिकता दी है, जिसमें विवाह की प्रकृति, घरेलू जिम्मेदारियों का बँटवारा, आय पर नियंत्रण और हिंसा के मनोवैज्ञानिक प्रभावों को भी ध्यान में रखा गया है। यह दृष्टिकोण कार्यरत महिलाओं के अनुभवों को विधिक मान्यता प्रदान करता है, किंतु साथ ही यह भी दर्शाता है कि संरचनात्मक असमानताएँ अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं।

समग्र विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि कार्यरत महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा आधुनिक आर्थिक परिवर्तन और जेंडर भूमिकाओं में बदलाव की एक प्रतिकूल सामाजिक अभिव्यक्ति है। आर्थिक सशक्तिकरण तब तक प्रभावी नहीं हो सकता जब तक पारिवारिक संरचना, पुरुष भूमिकाओं की पुनर्परिभाषा और सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टिकोण में समानांतर परिवर्तन न हों। अतः घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए केवल कानून या रोजगार पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि बहु-आयामी, जेंडर-संवेदनशील और संरचनात्मक हस्तक्षेप अनिवार्य हैं।

4.2 आधुनिक आर्थिक परिवेश का प्रभाव

आधुनिक आर्थिक परिवेश—जैसे वैश्वीकरण, निजीकरण और प्रतिस्पर्धात्मक कार्य-संस्कृति—ने कार्यस्थल पर महिलाओं की भागीदारी तो बढ़ाई है, किंतु पारिवारिक संरचना में समान रूप से परिवर्तन नहीं हो पाया है। आर्थिक दबाव, नौकरी की असुरक्षा और समयाभाव का प्रभाव घरेलू जीवन पर पड़ता है। गुणात्मक साहित्य से यह संकेत मिलता है कि पुरुष अक्सर कार्यस्थल के तनाव को घरेलू स्तर पर महिलाओं पर स्थानांतरित करते हैं, जिससे हिंसा की संभावना बढ़ जाती है।

इसके अतिरिक्त, आर्थिक स्वतंत्रता के बावजूद महिलाओं का पारिवारिक निर्णयों में पूर्ण अधिकार सुनिश्चित नहीं हो पाता। कई मामलों में महिला की आय को नियंत्रित किया जाता है या उसे परिवार की "सहायक आय" के रूप में ही देखा जाता है। यह आर्थिक नियंत्रण घरेलू हिंसा का एक महत्वपूर्ण, किंतु कम दिखाई देने वाला रूप है।

4.3 जेंडर भूमिकाओं में परिवर्तन और संघर्ष

जेंडर भूमिकाओं में परिवर्तन इस अध्ययन का केंद्रीय विश्लेषणात्मक बिंदु है। पारंपरिक समाज में पुरुष को

प्रभुत्वशाली और महिला को आश्रित भूमिका में देखा जाता रहा है। जब कार्यरत महिलाएँ निर्णय लेने, आर्थिक योगदान और सामाजिक पहचान में आगे बढ़ती हैं, तब यह पारंपरिक जेंडर व्यवस्था असंतुलित होती है। इस असंतुलन को स्वीकार करने के बजाय कई परिवारों में हिंसा के माध्यम से "पुरानी व्यवस्था" को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है।

विश्लेषण यह भी दर्शाता है कि घरेलू हिंसा केवल पुरुषों द्वारा महिलाओं पर किया गया व्यक्तिगत अत्याचार नहीं है, बल्कि यह सामाजिक स्वीकृति, सांस्कृतिक मान्यताओं और पितृसत्तात्मक सोच से संरक्षित एक संरचनात्मक समस्या है। कार्यरत महिलाओं के संदर्भ में यह हिंसा अधिक जटिल हो जाती है क्योंकि उनसे स्वतंत्र होने की अपेक्षा भी की जाती है और पारंपरिक भूमिका निभाने का दबाव भी।

4.4 प्रमुख रिपोर्टों का तुलनात्मक विश्लेषण

कार्यरत महिलाओं और घरेलू हिंसा से संबंधित प्रमुख रिपोर्टों के निष्कर्षों को संक्षेप में प्रस्तुत करती है:

तालिका 4.1 : कार्यरत महिलाओं और घरेलू हिंसा पर प्रमुख रिपोर्टों का सार

क्रम संख्या रिपोर्ट / अध्ययन प्रमुख सांख्यिकीय निष्कर्ष

1 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफ़एचएस–5)लगभग 29 प्रतिशत कार्यरत महिलाओं ने किसी न किसी रूप में घरेलू हिंसा का अनुभव किया

2 विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व स्तर पर प्रत्येक तीन में से एक महिला घरेलू या कार्यस्थल हिंसा से प्रभावित पाई गई

3 अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन कार्यस्थल पर लगभग 34 प्रतिशत महिलाओं ने यौन उत्पीड़न का अनुभव होने की सूचना दी

4 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो महिलाओं के विरुद्ध दर्ज अपराधों में घरेलू हिंसा का योगदान लगभग 32 प्रतिशत है

4.5 चर्चा

कार्यरत महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा पर आधारित केस स्टडीज़ और राष्ट्रीय–अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि यह समस्या केवल व्यक्तिगत संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आधुनिक आर्थिक परिवेश और जेंडर भूमिकाओं में हो रहे परिवर्तनों की जटिल सामाजिक प्रतिक्रिया है। अधिकांश केस स्टडीज़ में यह देखा गया है कि जैसे-जैसे महिलाएँ आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं, पारंपरिक पारिवारिक सत्ता-संतुलन प्रभावित होता है। यह परिवर्तन कई पुरुषों में असुरक्षा, नियंत्रण खोने की भावना और अहं-संकट को जन्म देता है, जो अंततः घरेलू हिंसा के रूप में प्रकट होता है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) की रिपोर्ट यह दर्शाती है कि कार्यरत महिलाएँ भी घरेलू हिंसा से सुरक्षित नहीं हैं। अनेक मामलों में यह पाया गया कि महिला की नौकरी या आय घरेलू हिंसा को कम करने के बजाय कुछ परिस्थितियों में बढ़ा भी सकती है। केस स्टडी विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि जब महिला की आय पति या परिवार के अन्य सदस्यों से अधिक होती है, तब हिंसा की संभावना बढ़ जाती है। इसका मुख्य कारण पितृसत्तात्मक सोच है, जिसमें पुरुष की पहचान परिवार के मुख्य कमाने वाले के रूप में स्थापित होती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों के अनुसार, घरेलू हिंसा महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसम्मान और कार्यक्षमता पर गहरा प्रभाव डालती है। केस स्टडीज़ से यह भी सामने आता है कि कार्यरत महिलाएँ कार्यस्थल पर तनाव और घर में हिंसा—दोनों का सामना करती हैं, जिससे उनका समग्र जीवन अत्यधिक दबावपूर्ण हो जाता है। कई मामलों में महिलाएँ आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद सामाजिक बदनामी, बच्चों की जिम्मेदारी और पारिवारिक दबाव के कारण हिंसक संबंधों से बाहर नहीं निकल पातीं।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की रिपोर्टों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि महिला रोजगार तभी सशक्तिकरण में परिवर्तित हो पाता है, जब उसे पारिवारिक और सामाजिक समर्थन प्राप्त हो। केस स्टडीज़ यह दर्शाती हैं कि जिन परिवारों में घरेलू कार्यों का समान बँटवारा और निर्णय-प्रक्रिया में साझेदारी होती है, वहाँ घरेलू हिंसा की संभावना अपेक्षाकृत कम होती है। इसके विपरीत, जहाँ महिलाओं से दोहरी भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है, वहाँ तनाव और हिंसा की घटनाएँ अधिक पाई जाती हैं।

आर्थिक परिवेश का प्रभाव भी केस स्टडीज़ में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। निजीकरण, अस्थायी रोजगार, कार्यस्थल की असुरक्षा और लंबा कार्य समय पारिवारिक जीवन को प्रभावित करता है। कई मामलों में पुरुषों द्वारा कार्यस्थल की कुंठा को घरेलू स्तर पर महिलाओं पर उतारा जाता है। यह दर्शाता है कि घरेलू हिंसा केवल जेंडर का मुद्दा नहीं, बल्कि व्यापक आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं से भी जुड़ी हुई है।

समग्र रूप से, केस स्टडीज़ और रिपोर्टों का विश्लेषण यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि कार्यरत महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा आधुनिक आर्थिक परिवर्तन और जेंडर भूमिकाओं में बदलाव की एक प्रतिकूल सामाजिक अभिव्यक्ति है। यह हिंसा तब तक समाप्त नहीं हो सकती जब तक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ-साथ सामाजिक सोच, पारिवारिक संरचना और पुरुष भूमिकाओं में भी परिवर्तन न किया जाए। इस प्रकार, घरेलू हिंसा की रोकथाम

के लिए बहु-आयामी और संरचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य है।

5: निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य कार्यरत महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा की समस्या का विश्लेषण करना तथा यह समझना था कि आधुनिक आर्थिक परिवेश और जेंडर भूमिकाओं में परिवर्तन किस प्रकार इस हिंसा को प्रभावित कर रहे हैं। अध्ययन के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि घरेलू हिंसा एक बहुआयामी सामाजिक समस्या है, जिसे केवल व्यक्तिगत व्यवहार या पारिवारिक असहमति के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह समस्या पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, आर्थिक असमानताओं, बदलती जेंडर भूमिकाओं और संस्थागत प्रतिक्रियाओं के जटिल अंतर्संबंध से उत्पन्न होती है।

अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि महिला का कार्यरत होना या आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना घरेलू हिंसा के विरुद्ध स्वतः सुरक्षा प्रदान नहीं करता। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों तथा केस-विश्लेषणों से यह स्पष्ट हुआ है कि कई मामलों में महिला की आर्थिक स्वतंत्रता पारंपरिक पारिवारिक सत्ता-संतुलन को चुनौती देती है। जब यह चुनौती सामाजिक-सांस्कृतिक स्तर पर स्वीकार नहीं की जाती, तब हिंसा एक नियंत्रणकारी उपकरण के रूप में उभरती है। इस प्रकार, घरेलू हिंसा को केवल आर्थिक निर्भरता की समस्या मानना एक सरलीकृत दृष्टिकोण होगा।

अध्ययन यह भी दर्शाता है कि कार्यरत महिलाएँ प्रायः दोहरे बोझ का सामना करती हैं। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे कार्यस्थल पर समान दक्षता का प्रदर्शन करें और साथ ही पारंपरिक घरेलू भूमिकाओं का भी निर्वहन करें। यह असमान अपेक्षा मानसिक तनाव, थकान और पारिवारिक संघर्ष को जन्म देती है। जब पारिवारिक संवाद और सहयोग का अभाव होता है, तब यही तनाव घरेलू हिंसा में परिवर्तित हो जाता है। इस संदर्भ में घरेलू हिंसा को केवल जेंडर का मुद्दा नहीं, बल्कि श्रम विभाजन और देखभाल-आधारित असमानताओं का परिणाम भी माना जा सकता है।

न्यायिक विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय न्यायपालिका घरेलू हिंसा की बदलती प्रकृति को धीरे-धीरे स्वीकार कर रही है। हाल के निर्णयों में यह मान्यता दी गई है कि घरेलू हिंसा केवल शारीरिक उत्पीड़न तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक नियंत्रण, भावनात्मक दमन और गरिमा के हनन को भी इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया है कि महिला का कार्यरत होना या आय अर्जित करना उसके संरक्षण के अधिकारों को समाप्त नहीं करता। यह न्यायिक दृष्टिकोण कार्यरत महिलाओं के अनुभवों को वैधानिक मान्यता प्रदान करता है, यद्यपि व्यवहारिक स्तर पर कानूनी प्रक्रिया अभी भी जटिल और समय-साध्य बनी हुई है।

अध्ययन का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह भी है कि घरेलू हिंसा की समस्या का समाधान केवल कानून या रोजगार-आधारित नीतियों से संभव नहीं है। जब तक सामाजिक सोच, पारिवारिक संरचना और पुरुष भूमिकाओं में समानांतर परिवर्तन नहीं होगा, तब तक आर्थिक सशक्तिकरण अधूरा रहेगा। घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए जेंडर-संवेदनशील सामाजिककरण, घरेलू कार्यों का समान बँटवारा, पुरुषों की भूमिका की पुनर्परिभाषा और संस्थागत समर्थन तंत्र का सुदृढ़ीकरण आवश्यक है।

समग्र रूप से, यह अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि कार्यरत महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा आधुनिक आर्थिक परिवर्तन और जेंडर भूमिकाओं में बदलाव की एक प्रतिकूल सामाजिक अभिव्यक्ति है। यह हिंसा उस संक्रमणकालीन अवस्था का परिणाम है, जहाँ आर्थिक संरचनाएँ तो बदल रही हैं, किंतु सामाजिक और सांस्कृतिक मानसिकता अभी भी पारंपरिक ढाँचों में जकड़ी हुई है। अतः घरेलू हिंसा की समस्या को प्रभावी रूप से संबोधित करने के लिए बहु-आयामी, संरचनात्मक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य है। यही इस अध्ययन का केंद्रीय निष्कर्ष और अकादमिक योगदान है।

संदर्भ सूची

1. भारत सरकार। (2005)। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005। नई दिल्ली: विधि एवं न्याय मंत्रालय।

2. अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान। (2021)। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफ़एचएस–5), 2019–21: भारत तथ्य पत्रक। मुंबई: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

3. विश्व स्वास्थ्य संगठन। (2012)। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा: अंतरंग साथी एवं यौन हिंसा। जिनेवा: विश्व स्वास्थ्य संगठन।

4. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। (2016)। कार्यस्थल पर महिलाएँ: प्रवृत्तियाँ। जिनेवा: अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन।

5. एग्नेस, फ्लाविया। (2012)। कानून और लैंगिक असमानता: भारत में महिला अधिकारों की राजनीति। नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रकाशन।

6. डोबाश, आर. ई., एवं डोबाश, आर. (1979)। पत्नी के विरुद्ध हिंसा: पितृसत्ता का एक अध्ययन। न्यूयॉर्क: फ्री प्रेस।

7. सेन, अमर्त्य। (1999)। स्वतंत्रता के रूप में विकास। नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रकाशन।

8. कबीेर, नायला। (2001)। संसाधन, एजेंसी और उपलब्धियाँ: महिला सशक्तिकरण के मापन पर चिंतन। विकास और परिवर्तन, 30(3), 435–464।

9. देशपांडे, अश्विनी। (2019)। भारत में लैंगिक असमानता। ऑक्सफोर्ड: भारतीय अर्थव्यवस्था का ऑक्सफोर्ड हैंडबुक।

10. जेजेभॉय, एस. जे.। (1998)। ग्रामीण भारत में पत्नी के साथ मारपीट: क्या यह पति का अधिकार है? आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 33(15), 855–862।

11. राव, विजयेंद्र। (1997)। दक्षिण भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पत्नी के साथ हिंसा: एक गुणात्मक एवं अर्थमितीय अध्ययन। सामाजिक विज्ञान और चिकित्सा, 44(8), 1169–1180।

12. कृष्णराज, मैत्रेयी। (2010)। घरेलू हिंसा पर महिलाओं का दृष्टिकोण। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 45(44), 60–67।

13. संयुक्त राष्ट्र महासभा। (1993)। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन की घोषणा। न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र।

14. भारत का सर्वोच्च न्यायालय। (2016)। हीरलाल पी. हरसोरा बनाम कुसुम नरोट्टमदास हरसोरा। भारत विधि प्रतिवेदन।

15. भारत का सर्वोच्च न्यायालय। (2020)। राजनेश बनाम नेहा। भारत विधि प्रतिवेदन।

Disclaimer/Publisher's Note: The views, findings, conclusions, and opinions expressed in articles published in this journal are exclusively those of the individual author(s) and contributor(s). The publisher and/or editorial team neither endorse nor necessarily share these viewpoints. The publisher and/or editors assume no responsibility or liability for any damage, harm, loss, or injury, whether personal or otherwise, that might occur from the use, interpretation, or reliance upon the information, methods, instructions, or products discussed in the journal's content.

****